न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः–03 / 2025 दायरा दिनांक 01.04.2025

पीठासीन अधिकारी :–श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. काशीलाल पुत्र अमृतलाल जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।
2. नवलों पुत्री अमृतलाल जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।
3. गिन्नी पुत्री अमृतलाल जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।
4. मालती पुत्री अमृतलाल जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।
5. कैलाश पुत्र हठीला जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।
6. फूलचन्द पुत्र हठीला जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।
7. चैयति पुत्री हठीला जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।
8. दौज्या पुत्र ग्यारसा जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला–बारां राजस्थान।

–अपीलान्टगण

–: बनाम :–

1. गुलाब पत्नी भॉवरिया जाति जाटव निवासी देवरी तहसील शाहबाद जिला–बारां राज।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला–बारां राज।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

श्री धीरेन्द्र कुमार :– वकील, अपीलान्टगण।

अपील विरूद्ध फौती नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 06.07.1989 ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद

निर्णय दिनांक 29.04.2026

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 06.07.1989 ग्राम कलोनी को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जा कर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि बांके ग्राम कलोनी पटवार हल्का मुंडियर तहसील शाहबाद में आराजी खाता नया संख्या 220 पुरानी 155 के खसरा नं0 675 रकबा 9.12 बीघा व खाता नया संख्या 165 पुरानी 165 के खसरा नं0 405 रकबा 1.11 बीघा , खाता खसरा नं0 415 रकबा 0.04 बीघा , खाता खसरा नं0 426 रकबा 0.06 बीघा, खाता खसरा नं0 427 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं0 560 रकबा 9.18 बीघा, खसरा नं0 680 रकबा 4.18 बीघा, कुल किता 7 कुल रकबा 26.12 बीघा भूमि स्थित है।

यह कि उक्त आराजियात अपीलान्ट के पितामह किशना जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद के खाते की रही है। उनकी मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण खोला जाकर उनके पुत्र ग्यारसा , छुट्टी , हटीला, अमृतलाल , कोमल व गोवन्दी के नाम दर्ज हुई । यह कि मूल खातेदार किशना पुत्र बलदेवा के वंशवृक्ष सजरा निम्न प्रकार है–

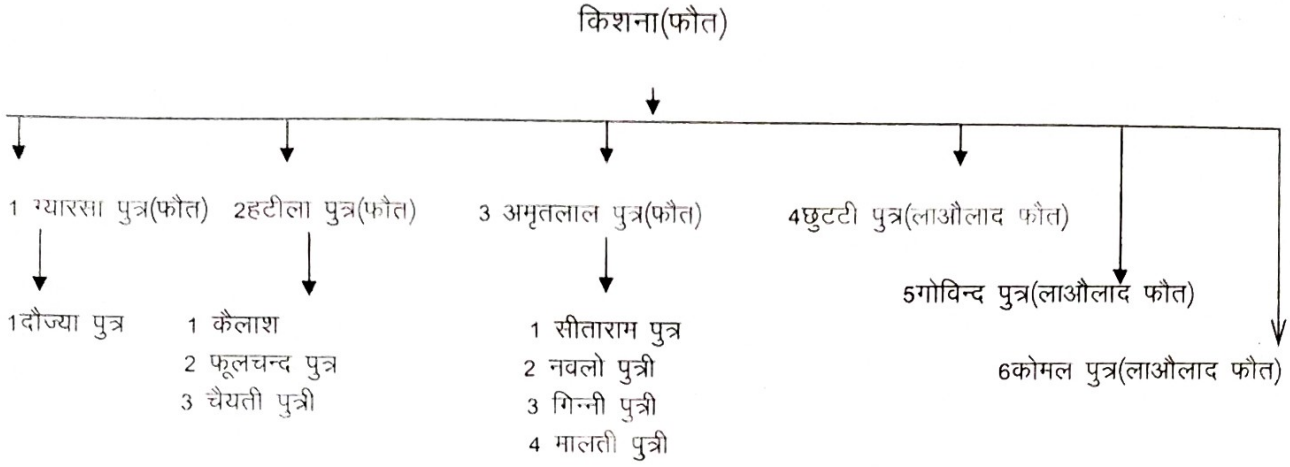

यह कि रेस्पोरेन्ट के काका (चाचा) के फौत हो जाने पर तहसीलदार शाहबाद द्वारा नामांतरकरण नं0 262 दिनांक 06.07.1989 ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान जिसमें कोमल के वारिसान के रूप में पुत्री गुलाब व पत्नी ग्यारसी (फौत) के नाम पटवारी हल्का द्वारा लिख दिये गये जबकि कोमल का कभी भी विवाह नहीं हुआ। कोमल की मृत्यु दिनांक 17.08.1988 को हो चुकी है कोमल के वारिसान अपीलान्ट कम 1 ता 8 मौजूद हैं। रेस्पोरेन्ट कम–1 गुलाब के द्वारा झूठे दस्तावेज व तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के काका (चाचा) के नाम दर्ज आराजी में नामान्तरकरण नं0 262 दिनांक 06.07.1989 ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद से अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। इस कारण प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलान्ट वक्त तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण मौजूद थे, जिन्हें प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गयी और ना ही कोई पूछताछ की गई और हल्का पटवारी एवं तहसीलदार ने अपने स्तर पर ही अपीलान्ट के नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किये । इस कारण प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट जन्म से ही काबिज काश्त है। दिनांक 19.07.2024 को केसीसी बनावाने हेतु हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर सर्वप्रथम प्रश्नगत नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलान्ट को हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ दिनांक 19.07.2024 को हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण की अधूरी तथा अस्पष्ट नकलें प्राप्त की गयी। उसके बाद दिनांक 09.01.2025 को अपीलान्ट ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की पुनः स्पष्ट तथा सम्पूर्ण नकलें प्राप्त की हैं। इस प्रकार यह अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश है। डिले कंडोन हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अपील के साथ संलग्न है।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की बांके ग्राम कलोनी पटवार हल्का मुंडियर तहसील शाहबाद में आराजी खाता नया संख्या 220 पुरानी 155 के खसरा नं0 675 रकबा 9.12 बीघा व खाता नया संख्या 165 पुरानी 165 के खसरा नं0 405 रकबा 1.11 बीघा , खाता खसरा नं0 415 रकबा 0.04 बीघा , खाता खसरा नं0 426 रकबा 0.06 बीघा, खाता खसरा नं0 427 रकबा 0.

03 बीघा, खसरा नं0 560 रकबा 9.18 बीघा, खसरा नं0 680 रकबा 4.18 बीघा, कुल किता 7 कुल रकबा 26. 12 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त आराजियात अपीलान्ट के पितामह किशना जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद के खाते की रही है। उनकी मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण खोला जाकर उनके पुत्र ग्यारसा , छुट्टी , हटीला, अमृतलाल , कोमल व गोवन्दी के नाम दर्ज हुई । रेस्पोडेन्ट के काका (चाचा) के फौत हो जाने पर तहसीलदार शाहबाद द्वारा नामांतरकरण नं0 262 दिनांक 06.07.1989 ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद जिसमें कोमल के वारिसान के रूप में पुत्री गुलाब व पत्नी ग्यारसी (फौत) के नाम लिख दिये गये जबकि कोमल का कभी भी विवाह नहीं हुआ। कोमल की मृत्यु दिनांक 17.08.1988 को हो चुकी है कोमल के वारिसान अपीलान्ट कं0 सं.0 1 ता 8 मौजूद हैं। रेस्पोरेन्ट कम--1 गुलाब के द्वारा झूठे दस्तावेज व तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के काका (चाचा) के नाम दर्ज आराजी में नामान्तरकरण नं0 262 दिनांक 06.07.1989 ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद से अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। अपीलान्ट वक्त तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण मौजूद थे, जिन्हें प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गयी और ना ही कोई पूछताछ की गई और अपीलान्ट के नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किये । इस कारण प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया की ग्राम कलोनी पटवार हल्का मुंडियर तहसील शाहबाद में आराजी खाता नया संख्या 220 पुरानी 155 के खसरा नं0 675 रकबा 9.12 बीघा व खाता नया संख्या 165 पुरानी 165 के खसरा नं0 405 रकबा 1.11 बीघा , खाता खसरा नं0 415 रकबा 0.04 बीघा , खाता खसरा नं0 426 रकबा 0.06 बीघा, खाता खसरा नं0 427 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं0 560 रकबा 9. 18 बीघा, खसरा नं0 680 रकबा 4.18 बीघा, कुल किता 7 कुल रकबा 26.12 बीघा भूमि उक्त आराजियात अपीलान्ट के पितामह किशना जाति जाटव निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद के खाते की रही है। उनकी मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण खोला जाकर उनके पुत्र ग्यारसा , छुट्टी , हटीला, अमृतलाल , कोमल व गोवन्दी के नाम दर्ज हुई । रेस्पोडेन्ट के काका (चाचा) के फौत हो जाने पर तहसीलदार शाहबाद द्वारा नामांतरकरण नं0 262 दिनांक 06.07.1989 ग्राम कलोनी तहसील शाहबाद जिसमें कोमल के वारिसान के रूप में पुत्री गुलाब व पत्नी ग्यारसी (फौत) के नाम लिख दिये गये जबकि कोमल का कभी भी विवाह नहीं हुआ। कोमल की मृत्यु दिनांक 17.08.1988 को हो चुकी है कोमल के वारिसान अपीलान्ट कम 1 ता 8 मौजूद हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कलोनी का नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 06.07.1989 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि खातेदार के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगंज को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद (बारां)